दिनांक 7 अगस्त, 1986

सं० ओ०वि०/आई०/हिसार/88-86/27912.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० चुडामणि विष्णुदेवी प्रसुति हस्पताल, हिसार के श्रमिक श्री डेविड मार्फत बीकी पेन्टर, मकान नं० 343, जयदेव की ढ़ाणी, हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित है :—

क्या श्री डेविड की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०आई०/हिसार/41-86/27923.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० शीप एण्ड वूल डिवलोपमैन्ट हरियाणा, भिवानी, के श्रमिक श्री प्रविन कुमार, पुत्र श्री विशम्बर दास, मार्फत श्री विजय कुमार बंसल, एडवोकेट, सिरसा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रविन कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 5 अगस्त, 1986

सं० ओ०वि०/यमुना/94-86/28187.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० डैन्सन इंजिनियरज (यमुना गैसिज यूनिट, सरदाना नगर) अम्बाला रोड़, जगाधरी के श्रमिक श्री समशेर सिंह, पुत्र श्री प्रताप सिंह, मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा इन्टक आफिस ब्राहमन धर्मशाला, रेलवे रोड़ जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हुतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री समशेर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

दिनांक 12 अगस्त, 1986

सं० ओ० वि०/यमुना/93-86/28792.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० डैन्सन इंजिनियरज (यमुना गैसिज यूनिट सरदाना नगर), अम्बाला रोड़, जगाधरी, के श्रमिक श्री हरजीत सिंह, पुत्र श्री मुकन्द सिंह, मार्फत डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, इन्टक आफिस, ब्राहमण धर्मशाला, रेलवे रोड़, जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री हरजीत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम विभाग ।

GENERAL ADMINISTRATION (SERVICES)

The 12th August, 1986

No. 50/64/86-S(I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Prem Chand, HCS, Special Collector, Rohtak as an Executive Magistrate in the Rohtak District from the date of his taking over charge of such duties in the District.

No. 50/65/86-S (I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Haryana hereby appoints Shri Jagbir Singh, IAS, Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Executive Officer, District Rural Development Agency, Karnal as an Executive Magistrate in the Karnal District from the date of his taking over charge of such duties in the District.

No. 50/66/86-S (I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Haryana is pleased to appoint Shrimati Anuradha Gupta, IAS, Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Executive Officer, District Rural Development Agency, Hissar as an Executive Magistrate in the Hissar District from the date of her taking over charge of such duties in the District.

No. 50/92/86-S(I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1972, the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Inder Singh, HCS, Executive Magistrate in the Mahendragarh District from the date of his taking over charge of such duties in the District.

No. 50/93/86-S(I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Suresh Kumar Goyal, HCS, Executive Magistrate, Sirsa as an Executive Magistrate, in the Sirsa District from the date of his taking over charge of such duties in the District.

No. 50/94/86-S(I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Subhash Chandra, HCS, Executive Magistrate, Kaithal as an Executive Magistrate in the Kurukshetra District from the date of his taking over charge of such duties in the District.